सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) डीग (भरतपुर) राज0

व इजलाश श्री दुलीचन्द मीना आर0ए0एस0

मु0स0 143/2016 राजस्व वाद

1. मंगतूराम पुत्र श्री छुट्टन (मृतक)

1/1– हुकमचन्द

1/2– चन्दनलाल

1/3– कैलाश चन्द

1/4– स्वरूप

1/5– मोहनश्याम पुत्रगण मंगतूराम

1/6– श्रीमती साबो पत्नी मंगतूराम

2. चतुर्भुज

3. प्रेमचन्द पिस0 सन्तूराम पुत्र छुट्टनराम जातियान ब्राह्मण निवासी ग्राम नगला खोह तहसील डीग

4. ज्ञानवती पत्नी सन्तूराम

–वादीगण

बनाम

1. दामोदर
2. तुलाराम
3. मिट्ठनलाल
4. नारायण लाल
5. चतरूराम

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

6. रतनलाल पुत्रगण श्री किशनाराम जातियान ब्राह्मण निवासी ग्राम नगला खोह तहसील डीग जिला भरतपुर
7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा खोह तहसील डीग जरिये शाखा प्रबन्धक महोदय
8. एस.बी.बी.जे. शाखा डीग जरिये शाखा प्रबन्धक महोदय

–असल प्रतिवादीगण

9. तहसीलदार साहब, तहसील डीग प्रतिनिधि राज0 सरकार

–तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा बावत् उद्घोषणा अन्तर्गत धारा
88–89 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय **दिनांक :– 19.04.2018**

वादीगण ने यह दावा बावत् उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि आराजी ख0नं0 3692/5016/0.40 हैक्टे0 बाकै ग्राम नगला खोह तहसील डीग में स्थित है। साबिक आराजी ख0नं0 3661 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा बाकै ग्राम नगला खोह तह0 डीग वादीगण के कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी है। जिसके बन्दोबस्त हाल में नवीन आराजी ख0नं0 3692/5016/0.40 हैक्टे0 बनाया गया है और वादीगण मुताबिक साबिक विवादित आराजी पर काबिज बतौर खातेदार काश्तकार काश्त करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर वादी सं0 1 का तथा 1/2 हिस्से पर वादीगण सं0 2 लगायत 4 का व0हि0ब0 कब्जा काश्त बतौर खातेदार काश्तकार चला आ रहा है तथा इस वक्त मौके पर भी विवादित आराजी ख0नं0 3692/5016/ रकबा 0.40 हैक्टे0 के 1/2 हिस्से पर वादी सं0 1 का तथा 1/2 हिस्से पर वादीगण सं0 2 लगायत 4 का व0हि0ब0 कब्जाकाश्त बतौर खातेदार काश्तकार है। बन्दोबस्त हाल द्वारा उक्त नवीन विवादित नं0 3692/5016 को साबिक ख0नं0 3661 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा की भूमि से बनाया गया है लेकिन कतई गलत तरीके पर खिलाफ मौका व खिलाफ कानून व साबिक रिकॉर्ड के विरुद्ध गलत मिलान क्षेत्रफल बनाते

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

हुए मिलान क्षेत्रफल में विवादित नवीन नम्बर 3692/5016 को साबिक ख0नं0 3561 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा से बनाया जाना गलत रूप से अंकित कर दिया है और कतई गलत तरीके पर गलत मिलान क्षेत्रफल के आधार पर विवादित नवीन नं0 को प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया है जबकि साबिक नं0 3561 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा ग्राम नगला खोह में प्रतिवादीगण की खातदारी का भी नहीं है। सही प्रकार से बन्दोबस्त हाल में नवीन विवादित नम्बर 3692/5016 को मुताबिक साबिक वादीगण के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करना चाहिए था। विवादित नवीन नम्बर को साबिक नं0 3661 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा की भूमि से बनाया गया है और साबिक नं0 3561 की भूमि से नहीं बनाया गया है जो कि नक्शा अक्स हाल व साबिक से बखूबी साबित है और इस प्रकार बन्दोबस्त हाल में गलत इन्द्राज काश्त व हक प्रतिवादीगण खिलाफ मौका व खिलाफ कानून प्रतिवादीगण के पक्ष में कर दिये गये हैं, जिनके कायम रहने से वादीगण की सख्त हकतल्फी है इसलिए वादीगण बंदोबस्त हाल में किये गये इस गलत इन्द्राज काश्त व हक प्रतिवादीगण को सही व दुरुस्त करा पाने के व वादीगण अपने आपको विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं। अतः आराजी ख0नं0 3692/5016/0.40 हैक्टे0 के हिस्सा 1/2 पर वादी संख्या 1 व हिस्सा 1/2 पर वादीगण संख्या 2 लगायत 4 व0हि0ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं हाल रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारी प्रतिवादीगण कलमजन की जावे।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को दावे के जवाब हेतु जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद इत्तला समन के उपस्थित अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दौराने दावे की सुनवाई वादी मंगतूराम की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान को बतौर वादीगण पक्षकार कायम किये गये।

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में ग्राम नगला खोह की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 प्रदर्श पी.1, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2027–2030 प्रदर्श पी.2, मिलान

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

क्षेत्रफल सम्वत् 2040 प्रदर्श पी.3, साबिक नक्शा किस्तवार सम्वत् 1982 प्रदर्श पी.4 एवं नक्शा किस्तवार सम्वत् 2033 प्रदर्श पी.5 पेश किये हैं एवं मौखिक साक्ष्य में बयान चतुर्भुज पी.डब्ल्यू. 1 एवं बयान नूरू पी.डब्ल्यू.2 दर्ज कराकर अपनी साक्ष्य पूर्ण की।

विद्वान वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान वकील वादीगण ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुए एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि ख0नं0 3692/5016/0.40 हैक्टे0 बाकै ग्राम नगला खोह तहसील डीग में स्थित है। साबिक आराजी ख0नं0 3661 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा बाकै ग्राम नगला खोह तह0 डीग वादीगण के कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी है। जिसके बन्दोबस्त हाल में नवीन आराजी ख0नं0 3692/5016/0.40 हैक्टे0 बनाया गया है और वादीगण मुताबिक साबिक विवादित आराजी पर काबिज बतौर खातेदार काश्तकार काश्त करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर वादी सं0 1 का तथा 1/2 हिस्से पर वादीगण सं0 2 लगायत 4 का व0हि0ब0 कब्जा काश्त बतौर खातेदार काश्तकार चला आ रहा है तथा इस वक्त मौके पर भी विवादित आराजी ख0नं0 3692/5016/ रकबा 0.40 हैक्टे0 के 1/2 हिस्से पर वादी सं0 1 का तथा 1/2 हिस्से पर वादीगण सं0 2 लगायत 4 का व0हि0ब0 कब्जाकाश्त बतौर खातेदार काश्तकार है। बन्दोबस्त हाल द्वारा उक्त नवीन विवादित नं0 3692/5016 को साबिक ख0नं0 3661 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा की भूमि से बनाया गया है लेकिन कतई गलत तरीके पर खिलाफ मौका व खिलाफ कानून व साबिक रिकॉर्ड के विरूद्ध गलत मिलान क्षेत्रफल बनाते हुए मिलान क्षेत्रफल में विवादित नवीन नम्बर 3692/5016 को साबिक ख0नं0 3561 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा से बनाया जाना गलत रूप से अंकित कर दिया है और कतई गलत तरीके पर गलत मिलान क्षेत्रफल के आधार पर विवादित नवीन नं0 को प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया है जबकि साबिक नं0 3561 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा ग्राम नगला खोह में प्रतिवादीगण की खातदारी का भी नहीं है। सही प्रकार से बन्दोबस्त हाल में नवीन विवादित नम्बर 3692/5016 को मुताबिक साबिक वादीगण के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में अंकित

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

करना चाहिए था। विवादित नवीन नम्बर को साबिक नं0 3661 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा की भूमि से बनाया गया है और साबिक नं0 3561 की भूमि से नहीं बनाया गया है जो कि नक्शा अक्स हाल व साबिक से बखूबी साबित है। अतः आराजी ख0नं0 3692/5016/0.40 हैक्टे0 के हिस्सा 1/2 पर वादी संख्या 1 व हिस्सा 1/2 पर वादीगण संख्या 2 लगायत 4 व0हि0ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं हाल रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारी प्रतिवादीगण कलमजन की जावे।

विद्वान वकील वादीगण के बहस पर हमने मनन किया तथा वादपत्र के तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। वादपत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा प्रस्तुत साबिक जमाबन्दी 2027–2030 प्रदर्श पी.2 की खाता संख्या 132 की प्रविष्टियों से स्पष्ट है कि वादीगण के साबिक आराजी ख0नं0 3661/2–10 बीघा पर अन्य मजकूरान नम्बरान के साथ मंगतू व सन्तू पिस0 छुट्टन व0हि0ब0 जरिये इ.नं. 482 खातेदार दर्ज हैं। प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2040 के मुताबिक साबिक ख0नं0 3561 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा से नवीन ख0नं0 3692/5016/0.40 हैक्टे0 बनाया जाना दर्शाया गया है। प्रस्तुत हाल जमाबन्दी सम्वत् 2064–6027 के खाता संख्या 335 में उक्त साबिक 3561/2–10 बीघा से बने नवीन नम्बर 3692/5016/0.40 हैक्टे0 पर अन्य मजकूर नम्बरान के साथ प्रतिवादीगण की खातेदारी दर्ज है। जबकि वादी के साबिक ख0नं0 3661/2–10 बीघा के साबिक नक्शा किस्तवार सम्वत् 1982 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त साबिक नम्बर से ही उक्त विवादित आराजी हाल ख0नं0 3692/5016/0.40 हैक्टे0 से बनाया गया है। साबिक एवं हाल नक्शा किस्तवार के अवलोकन से भी इस तथ्य की पूर्णतयः पुष्टि होती है, मगर भूप्रबन्ध विभाग ने बिना किसी आदेश के वादी के साबिक ख0नं0 3661/2–10 बीघा से बने नवीन ख0नं0 3692/5016/0.40 हैक्टे0 पर प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी इन्द्राज गलत कर दिया गया है। जबकि उक्त हाल ख0नं0 पर 3692/5016/0.40 हैक्टे0 पर कानूनन वादीगण की खातेदारी दर्ज किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है। इसके अलावा प्रतिवादीगण बावजूद इत्तला समन के उपस्थित

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

अदालत नहीं आये एवं ना ही वादीगण के वादपत्र के स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रकट की है। इससे स्पष्ट है कि वादीगण के दावा को स्वीकार करने में उनकी परोक्ष रूप से सहमति है। अतः उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर वादीगण का दावा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि –

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से वादीगण दावा साबित होने पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी 3692/5016/0.40 हैक्टे0 बाके ग्राम नगला खोह तहसील डीग के हिस्सा 1/2 पर वादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/6 व0हि0ब0 तथा शेष हिस्सा 1/2 पर वादीगण संख्या 2 लगायत 4 को व0हि0ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे खातेदारी इन्द्राज प्रतिवादीगण को कलमजद किये जाने की आज्ञा दी जाती है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

निर्णय आज दिनांक 19.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवादी)

(Civil Procedure Code Appendix "D" I)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर)डीग(भरतपुर) राज0
व इजलाश श्री दुलीचन्द मीना आर0ए0एस0

मु0स0 143/2016 राजस्व वाद

1. मंगतूराम पुत्र श्री छुट्टन (मृतक)
1/1– हुकमचन्द, 1/2– चन्दनलाल, 1/3– कैलाश चन्द, 1/4– स्वरूप
1/5– मोहनश्याम पुत्रगण मंगतूराम
1/6– श्रीमती साबो पत्नी मंगतूराम
2. चतुर्भुज
3. प्रेमचन्द पिस0 सन्तूराम पुत्र छुट्टनराम जातियान ब्राह्मण निवासी ग्राम नगला खोह तहसील डीग
4. ज्ञानवती पत्नी सन्तूराम

–वादीगण

बनाम

1. दामोदर
2. तुलाराम
3. मिट्ठनलाल
4. नारायण लाल
5. चतरूराम
6. रतनलाल पुत्रगण श्री किशनाराम जातियान ब्राह्मण निवासी ग्राम नगला खोह तहसील डीग जिला भरतपुर
7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा खोह तहसील डीग जरिये शाखा प्रबन्धक महोदय
8. एस.बी.बी.जे. शाखा डीग जरिये शाखा प्रबन्धक महोदय

–असल प्रतिवादीगण

9. तहसीलदार साहब, तहसील डीग प्रतिनिधि राज0 सरकार

–तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बावत् उद्घोषणा अन्तर्गत धारा
88–89 आर.टी.एक्ट 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता मिनजानिब पक्षकारान मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से वादीगण दावा साबित होने पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी 3692/5016/0.40 हैक्टे0 बाके ग्राम नगला खोह तहसील डीग के हिस्सा 1/2 पर वादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/6 व0हि0ब0 तथा शेष हिस्सा 1/2 पर वादीगण संख्या 2 लगायत 4 को व0हि0ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे खातेदारी इन्द्राज प्रतिवादीगण को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

आज ....मुबलिग..............................
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व भाहर..............................को सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..............................को अदा करें।

बसखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत में आज तारीख 19.04.2018 माह..............सन्.............. को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत..............................

ओहदा उपखण्ड अधिकारी डीग (भरतपुर)

मीजान	रूपया	पैसे	मुद्दालय	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	2		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	2		स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प बजह सबूत			महनताना वकील)पर		
महनताना वकील)पर			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक	2				
मीजान			मीजान		

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.